

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25421-I/2017-18/

दिनांक :- 21/4/17

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,
रा.स.मा.वि./रा.मा.वि.,


विषय :- विस्तृत मद 03-यात्रा व्यय में अतिरिक्त राशि का आवंटन
वित्तीय वर्ष 2017-18

उपरोक्त विषयान्तर्गत विद्यालयों द्वारा की गई अतिरिक्त राशि की मांग के आधार पर मांग संख्या 24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 02 - माध्यमिक शिक्षा, 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, (02) - बालिका विद्यालय (राज्य निधि) के अन्तर्गत विस्तृत मद 03-यात्रा व्यय हेतु अतिरिक्त राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए किया जाता है। आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे तथा अधिशेष राशि का समर्पण यथाशीघ्र कर दिया जावे।

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	ऑफिस आईडी.	नाम विद्यालय	जिला	03-यात्रा व्यय	विशेष विवरण
1	10032	GSSS, BAGAWAS	JAIPUR	11000	स्टॉफ हेतु।
2	30059	GSS, UNCHA GANW	KARALI	10000	स्टॉफ हेतु।
TOTAL :-				21000	


03-यात्रा व्यय अखरे रूपये इक्कीस हजार मात्र


लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25421-I/2017-18/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 21/4/17

1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
2. कोषाधिकारी, जिला कोषालय,
3. सिस्टम अनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. प्रभारी, पुनः समाधान दल, कार्यालय हाजा
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रभाग (बजट), ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली



लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-5/25421/2017-18 दिनांक 12.04.2017 द्वारा लेखामद 2202-02-109-01-00 (राज्य निधि) के विस्तृत मद 03-यात्रा व्यय में क्रमांक 04 पर ऑ.आईडी-26889-रामावि, सेनवा (लाडनू) नागौर को आवंटित राशि रूपये 8000/- का आवंटन श्री विक्रम व्यास,प्रधानाध्यापक हेतु के स्थान पर ऑ.आईडी-26869-GSS,CHILLA (NAGOUR),NAGOUR आवंटित राशि रूपये 8000/- का आवंटन श्री विक्रम व्यास,प्रधानाध्यापक हेतु आवंटित पढ़ा जावे।

आवंटन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :- 21/4/17

क्रमांक: शिविरा/मा/बजट/बी-5/25421/2017-18/
प्रतिलिपि:-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिला शिक्षा अधिकारी
2. कोषाधिकारी, जिला कोष कार्यालय,
3. संबंधित संस्थाप्रधान.....
4. प्रभारी, पुनः समाधान दल, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर